संख्या-180/2024/2495/सैंतीस-2-2024-5(2)/2018

प्रेषक,

सत्यवान सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-24 दिसम्बर, 2024

विषयः- **गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3184/सा0-2/बारह-619(भाग-3)/2024-25, दिनांक-25.11.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-15 के अधीन गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-164/2024/2314/सैंतीस-2-2024/004-5(2)/2018, दिनांक-14.11.2024 के संलग्नक में क्रमांक-5 पर अंकित वृहद गो संरक्षण केन्द्र मानपुर अहतमाल, जनपद सहारनपुर के स्थान पर वृहद गो संरक्षण केन्द्र शेखपुर खिचरा, जनपद हापुड़ पढ़े जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- शासनादेश दिनांक-14.11.2024 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-180/2024/2495(1)/सैंतीस-2-2024-5(2)/2018, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।